APP-A
Order-I

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – फलामादा

जस्सू पत्नि उदा बलाई
निवासी– फलामादा

बनाम गायड पिता लालु रेबारी
निवासी– रेबारियों की ढाणी

किस्म मुकदमा– वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88 रा.टि.ए.

प्रकरण संख्या– 61/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट फलानादा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करनें से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि साबिक वादग्रस्त आराजी नम्बर– 861/4 भज्जा, रुपा पिता ज्वाना बलाई के खातेदारी कब्जे काश्त की थी, भू– प्रबन्ध के दौरान खसरा मिलान तैयार किया गया जिसमें आराजी नम्बर– 1346 को साबिक नम्बर– 870 मीन से बनाया जाना बताया है जो नक्शा ट्रेस नवीन व हाल से कतई मिलान नही खाता है। आराजी नम्बर– 1346 के साबिक नम्बर – 861/4 है, जो वादीगण के कब्जे काश्त व पुश्तैनी व मौरुसी हैं भू–प्रबन्ध द्वारा इस आराजी 1346 को फुसा पिता श्रीराम रेबारी के नाम दर्ज कर दी । वकी ल वादी का बहस में यह भी कथन था कि आराजी नम्बर– 870 मीन प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के हक की है, जिसके नवीन व हाल नक्शा मिलान से 1327 है, जो प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 के पिता के खाते में दर्ज है। मौके पर भी आराजी नम्बर– 1327 पर प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 काबिज है, जो वादीगण की भूमि से दूर होकर तालाब की पाल के पश्चिम दिशा की ओर है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर आरजी नम्बर– 1346 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा भूमि के लिए वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जावें। जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान जो खसरा मिलान तैयार किया गया है जो विधिवत् तैयार किया गया है आराजी नम्बर– 1346 प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से ही कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिस पर वादीगण का आज दिन तक कोई कब्जा नही रहा है और न ही आराजी नम्बर– 1346 को पुसा पुत्र श्रीराम रेबारी के इन्द्राज को विधिवत् दौहराते हुये किया है, जो सही होकर विधिवत् है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी खारिज फरमाया जावे।	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मैंनें वकील उभयपक्ष को सूना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन करने पर न्यायालय द्वारा उपस्थित वादीगण व प्रतिवादीगण को समझाईस करने पर प्रतिवादीगण ने दावा वादी स्वीकार करने में अपनी सहमति व्यक्त की तथा वकील प्रतिवादी ने अपनी फीस बकाया होने का कथन किये जाने पर वादीगण के द्वारा आज न्यायालय के समक्ष 11,000/- रुपये बतौर फीस वकील के प्रतिवादीगण को अदा किये जाने से लोक अदालत की भावना से दावा वादी डिक्री किये जाने में अपनी सहमति सर्वरुप हस्ताक्षर किये गये । तदनुसार दावा वादी लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है।

"निर्णय"

दावा वादी लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाकर मौजा फलामादा तहसील हुरडा की आरजी नम्बर- 1346 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा भूमि हाल खातेदार से हटाई जाकर उक्त आराजी नम्बर- 1346 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा भूमि के लिये वादीगण को खातेदार घोषत किया जाता है। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट फलामादा पर सूनाया गया ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner